

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 12/11/2022

संबल योजना के अंतर्गत आवेदन सत्र 2022-23 आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में B.A.LL.B प्रथम वर्ष, B.B.A.LL.B. प्रथम वर्ष, LL.B. प्रथम वर्ष एवं LL.M. प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में प्रवेश लिया है वे पहले NIC Scholarship Portal 2.0 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भरकर कार्यालय में जमा करें। उक्त B.A.LL.B प्रथम वर्ष एवं B.B.A.LL.B. प्रथम वर्ष कक्षाओं के विद्यार्थियों ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शिक्षण शुल्क रु. 25000/- क्लेम का करना है तथा LL.B प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रु. 15000/-, तथा LL.M. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रु. 15100/- क्लेम करना है।

2. B.A.LL.B द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष एवं B.B.A.LL.B. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष LL.B द्वितीय एवं तृतीय वर्ष LL.M द्वितीय वर्ष के वे ही विद्यार्थी संबल योजना के पात्र होंगे जिनको प्रथम वर्ष की कक्षाओं में इस योजना का लाभ मिला हो वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

3. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के संबल योजना के अंतर्गत जारी किये कार्ड अनिवार्य रूप से ऐक्टिव होने चाहिए। कार्ड के ऐक्टिव होने पर पोर्टल के द्वारा स्वीकृति की जाती है।


आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की छाया प्रति सभी विद्यार्थियों के लिये।
2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची अंकसूची की छाया प्रति सभी विद्यार्थियों के लिये।
3. सभी सेमेस्टर की अंकसूची की छाया प्रति नवीनीकरण के समस्त विद्यार्थियों के लिये।
4. आय का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो उसकी छाया प्रति।
5. संबल योजना के अंतर्गत जारी किये कार्ड की छाया प्रति जो ऐक्टिव हो।
6. स्थायी निवासी का प्रमाण प्रति।
7. प्रवेश रसीद की छाया प्रति।
8. आधार कार्ड की छाया प्रति

1. उक्त सभी दस्तावेज कम से संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित कर अपने कक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर करवाकर ही कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2. कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल एक ही प्रकार छात्रवृत्ति/योजना का लाभ ले सकता है। अतः विद्यार्थी सावधानी पूर्वक योजना को चयनित कर उसका लाभ लें।

3. गांव की बेंटी/प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना है जिसका लाभ पात्र छात्राये ले सकती है।


(डॉ. इनामुरहमान) 12.11.22
प्राचार्य

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय